

—सराहनीय प्रेस नोट—  
मीडिया सेल ,जनपद मीरजापुर ।

संख्या:32/2022

दिनांक: 17.07.2022

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा कार में लदा 60.220 किग्रा(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 18 लाख) अवैध गांजा के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 16.07.2022 को थानाध्यक्ष अहरौरा संजय सिंह मय पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग में मामूर थे कि इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सुकृत की तरफ से अवैध मादक पदार्थ से लदी एक कार आ रही है । उक्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा पुलिस द्वारा बरबकपुर बार्डर पर सघन चेकिंग कर कुदारन की तरफ से आने वाली कार शेवरले एन्जॉय वाहन संख्या यूके 04 एएफ 9947 को रोककर उसमें सवार 02 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया । वाहन उपरोक्त की तलाशी के दौरान वाहन की पिछली सीट पर 59 पैकेट में रखा 60.220 किग्रा अवैध गांजा बरामद हुआ । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अम्बिकापुर , छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर बिक्री हेतु देवरिया, उत्तर प्रदेश जा रहे थे । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु 0अ0स0-119/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

- 1-अतुल कुमार पुत्र जयराम निवासी सिरिसिया मिश्र थाना खामपार जनपद देवरिया, उम्र करीब-28 वर्ष ।
- 2- धर्मवीर प्रसाद पुत्र नन्दलाल निवासी भठवां तिवारी थाना खामपार जनपद देवरिया, उम्र करीब-42 वर्ष ।

बरामदगी विवरण—

- 1- कुल 60.220 किग्रा अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 18 लाख )
- 2- शेवरले एन्जॉय कार वाहन संख्या: UK 04 AF 9947.

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष अहरौरा, मीरजापुर मय पुलिस टीम ।

